सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
भाद्र 15, बुधवार, *शाके* 1945-सितम्बर 06, 2023 *Bhadra 15, Wednesday , Saka 1945- September 06, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 06, 2023

संख्या प.6(75)परि/कर/मु./08/ 20207 :-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार, यह राय रखते हुए कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एतद् द्वारा, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88, की उप-धारा (8) के अंतर्गत जारी अनुज्ञापत्रों पर दिनांक 15.09.2023 से 29.09.2023 तक अन्य राज्यों से रामदेवरा (जिला जैसलमेर) आने/जाने वाले समस्त यात्री वाहनों के लिये 6500/- रूपये से अधिक उन करों का परिहार करती है जो राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त श्रेणी के वाहनों पर देय है ।

राज्यपाल के आदेश से,

महेन्द्र कुमार खींची,
संयुक्त शासन सचिव।

4094

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।